पटवारी हल्का की रिपोर्ट अवलोकन
पश्चात पत्रावली अग्रिम कार्यवाही निमित्त
18/9/17 को पेश की

नायब तहसीलदार
बेड़वा

18/9/17 पत्रावली पेश। श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय अवकाश
पर है। पत्रावली दिनांक 22/9/17 को पेश हो।

22/9/17 पत्रावली पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त।
संक्षेप में प्रकरण में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोरल
ने अ.सं. निरीक्षक गोरल से सत्यापित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि
अभार्थी वीरेन्द्र पुत्र गोपाल घोसी निवासी गोरल मौजा गोरल के
ख.नं. 651 रकबा 1.14 बी. की किस्म गोचर खास नीची पर पक्के
2007 में प्लाट बनाकर अवैध कब्जा किया है।
स्पष्ट अभार्थी के विरुद्ध धारा 91 सं.प्र.सं. के
तहत प्रकरण पर्ची रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया
नोटिस की तामिल हुई। अभार्थी अब तक पेश कर मुख्यमंत्री आज
पर कब्जा नहीं होना बताया पटवारी हल्का ने पूर्व रिपोर्ट ली
गई। जिसमें आधुनिक अतिक्रमी का मुख्यमंत्री आवासीय पर कब्जा है
उस। अभार्थी के अतिक्रमण को ध्यान में रखते हुए आदेश
दिया जाता है। गैर आवास को लगभग 10 से 50 रूपा
52 तथा में जुर्माना कायम किया जाता है। गैर आवास को
मौखिक रूप से बेदखल करने एवं जुर्माना वसूली एवं
भोग कायमी हेतु पटवारी हल्का गोरल व TRA
को लिखा जावे।
पत्रावली बाद पालना को पत्र शुमार
होकर नम्बर होवे।
निर्णय मेरे द्वारा लिखाया।

वर्ष 2017-18 रुपये 05
ले. 4 के पृष्ठ सं. 50 पर दर्ज की
तहसील राजस्व लेखाकार बेड़वा

नायब तहसीलदार
बेड़वा

11/8/17